डा0 भीमराव आंबेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 06-01-2022 का कार्यवृत्त

कार्य परिषद् की बैठक वृहस्पति भवन, पालीवाल पार्क, आगरा पर दिनांक 06.01.2022 को सांय 04:00 बजे आहूत हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुयेः-

प्रो0 आलोक कुमार राय- कुलपति - अध्यक्ष

2. प्रो0 अचला गक्खर
3. प्रो0 अजय तनेजा
4. प्रो0 अनिल कुमार वर्मा
5. प्रो0 संजय चौधरी
6. डा0 प्रीति जौहरी
7. डा0 निर्मला यादव
8. डा0 लता चन्दोंला
9. डा0 अमिता शर्मा
10. डा0 गौतम लाल बिहारी जैसवार
11. डा0 मोहम्मद हुसैन
12. डा0 रनवीर सिंह
13. डा0 रोशन लाल
14. डा0 बी0डी0 शुक्ला
15. डा0 जे0 पी0 शर्मा

श्री संजीव कुमार सिंह, कुलसचिव - सचिव

बैठक में श्री अजय कृष्ण यादव, परीक्षा नियत्रंक एवम् श्री ए0के0 सिंह, वित्त अधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम कुलसचिव श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा बैठक के सदस्यों का स्वागत करते हुये प्रो0 अचला गक्खर एवम् डा0 एस0पी0 सिंह को नवीन सदस्य नामित होने पर बधाई दी गई एवम् पुराने सदस्यों का उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2021, आकस्मिक बैठक दिनांक 14.09.2021 एवं 01.12.2021 के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि पर विचार। **(परिशिष्ट -1)**

   निर्णयः- कार्य परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 24.08.2021, आकस्मिक बैठक दिनांक 14.09.2021 एवं 01.12.2021 के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि की गई।

..................2

Scanned with CamScanner

2. कार्य परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 06.01.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट -2)

निर्णयः- कार्य परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 06.01.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट -3)

निर्णयः- कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद की बैठक दिनांक 06.01.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. कार्य परिषद् द्वारा अनुबन्धित कर्मचारियों के विनियमीतिकरण के सम्बन्ध में विचार। **(परिशिष्ट-4)**

निर्णयः- अनुबन्धित कर्मचारियों के विनियमीतिकरण के सम्बन्ध में माननीय कार्य परिषद् सदस्य प्रो0 संजय चौधरी द्वारा विनियमीतिकरण समिति की रिपोर्ट को परिषद् के समक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसमें 23 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की निम्न सूची प्रस्तुत की गयीः-

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति की तिथि	धारित योग्यता	श्रेणी	पद जिस पर विनियमीतिकरण की अनुसंशा
1.	श्री सुनीत कुमार	स्व0 श्री बृज मोहन	06.12.1969	08.10.1998	बी0ए0	अ0ज0 (अन्य राज्य)	नैत्यिक लिपिक
2.	श्री देव कुमार शर्मा	श्री ओम प्रकाश शर्मा	22.01.1973	02.01.1999	बी0एस0सी0 पी0जी0डी0सी0ए0	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
3.	श्री राजीव सक्सैना	श्री एस0पी0 सक्सैना	11.12.1973	11.01.1999	बी0ए0, डिप्लोमा इन कम्प्यूटर (अपट्रॉन)	सामान्य	डाटा एन्ट्री आपरेटर
4.	श्री दीपक शुक्ला	श्री एच0पी0 शुक्ला	15.07.1975	09.02.1999	बी0कॉम0, डिप्लोमा इन कम्प्यूटर (DIT)	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
5.	श्री स्वदेश गुप्ता	श्री आर0एस0 गुप्ता	09.08.1972	01.08.2001	एम0कॉम0	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
6.	श्रीमती सरिता गौतम	श्री गजाधर गौतम	01.02.1975	23.04.1999	इण्टरमीडिएट	अ0पि0व0	नैत्यिक लिपिक
7.	श्री मो0 रहीस	श्री मो0 इशाक	04.04.1977	04.09.1999	बी0एस0सी0, डिप्लोमा इन कम्प्यूटर	अ0पि0व0	नैत्यिक लिपिक
8.	श्री पुरूषोत्तम	स्व0 श्री ईश्वर दास	03.10.1967	02.05.2000	एम0एस0सी0 (प्राणी विज्ञान)	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
9.	श्री इस्तखार अली खाँ	स्व0 श्री याकूब अली खाँ	01.04.1968	06.12.1999	बी0ए0, पी0जी0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर इनफॉरमेशन मैनेजमैंट	सामान्य	डाटा एन्ट्री आपरेटर
10.	श्री राजेश सिंह सिकरवार	श्री आर0ए0 सिंह	05.07.1974	18.12.1999	एम0एस0सी0, पी0एच-डी0	सामान्य	प्रयोगशाला सहायक
11.	श्री सुभाष चन्द्र	स्व0 श्री नारायण सिंह	01.01.1967	18.09.2000	इण्टरमीडिएट	अ0पि0व0	नैत्यिक लिपिक

.......3

Scanned with CamScanner

12.	श्री नरेश कुमार	श्री राम स्वरूप	04.04.1969	18.07.2000	बी0ए0	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
13.	श्री अखिलेश सिंह चौहान	श्री बी0एस0 चौहान	21.11.1976	21.07.2000	एम0एस0सी	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
14.	श्रीमती सुनीता देवी	स्व0 सिद्ध नाथ शुक्ला	01.10.1970	18.08.2000	इण्टर(गृह विज्ञान)बी0ए0	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
15.	श्री बिजेन्द्र सिंह खौलिया	श्री राम सिंह खौलिया	08.11.1979	13.09.2000	बी0ए0	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
16.	श्री हेमन्त गुप्ता	स्व0 श्री आर0 एन0 गुप्ता	15.07.1973	22.12.2000	बी0एस0सी0 (पी0सी0एम0)	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
17.	श्री दीपक सहगल	श्री एस0सी0 सहगल	05.01.1979	08.05.2001	बी0ए0 डी0सी0ए0	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
18.	श्री राकेश कुमार शर्मा	श्री आर0ए0 शर्मा	13.02.1979	09.05.2001	बी0ए0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर	अ0पि0व0	नैत्यिक लिपिक
19.	श्री सौरभ शर्मा	श्री ए0के0 शर्मा	11.08.1980	09.05.2001	बी0एस0सी0 डी0आई0टी0 पी0जी0डी0आई0टी	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
20.	श्री मुकेश कुमार शर्मा	श्री हरि मोहन शर्मा	01.07.1975	10.08.2001	एम0एस0सी0	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
21.	श्री हरेन्द्र सिंह यादव	श्री ऐदल सिंह यादव	01.05.1973	06.08.2001	बी0एस0सी	अ0पि0व0	नैत्यिक लिपिक
22.	श्री अमित कुमार शर्मा	स्व0 श्री नत्थी लाल शर्मा	02.07.1977	01.02.2001	बी0ए0, डी0सी0ए0	सामान्य	नैत्यिक लिपिक
23.	श्री दिनेश पचौरी	श्री राम भरोसी पचौरी	01.01.1980	01.09.2001	बी0ए0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर	सामान्य	नैत्यिक लिपिक

जो कि अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग सीधी भर्ती नियमावली-1985 के अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारी की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को Cut off दिनांक 31.12.2001 तक पूर्ण करते है। कुलसचिव द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि श्री वीरेश कुमार द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि समिति द्वारा प्रस्तुत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सूची में क्रम संख्या-7 पर उल्लिखित संविदा कर्मचारी मोहम्मद रहीस की मूल नियुक्ति सेठ पदम चन्द्र जैन संस्थान में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में कार्यालय सहायक के रूप में की गई थी। अतः स्थायीकरण की सूची में उनका नाम सम्मिलित न किया जाय, जिस पर परिषद् के सदस्यों द्वारा गहन विचारविमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री रहीस कुमार के विनियमीतिकरण को इस समय रोक दिया जाय तथा शीघ्रातिशीघ्र उनके सम्बन्ध में की गयी शिकायत की जाँच की प्रक्रिया 3 दिन के भीतर शुरू कर यथाशीघ्र करा ली जाय और यदि जाँच रिपोर्ट उनके पक्ष में आती है तो उसको पुनः परिषद् में न लाया जाय, बल्कि कुलपति को इस हेतु अधिकृत किया जाता है।

यदि शिकायत को निराधार पाया जाता है तो उनके सारे लाभ प्रदान करते हुये उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाय तथा उक्त का निस्तारण एक सप्ताह में कराकर नियुक्ति के लिए कुलसचिव को अधिकृत किया गया। शेष सभी 22 कर्मचारियों को विनियमितीकरण का आदेश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में विनियमितीकरण समिति द्वारा 21 कर्मचारियों की निम्न सूची प्रस्तुत की गयी:-

..........4

Scanned with CamScanner

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति की तिथि	धारित योग्यता	श्रेणी	पद जिस पर विनियमीतिकरण की अनुसंशा
1.	श्री राम स्वरूप	श्री चरन सिंह	01.01.1972	23.09.1992	V Class	अ0पि0व0	गार्ड
2.	श्री मुन्नीलाल	स्व0 धर्म राज	10.07.1975	26.08.1985	VIII Class	अ0ज0	माली
3.	श्री राजपाल	स्व0 सोरन सिंह	17.04.1980	01.07.2001	V Class	अ0ज0	सफाईकर्मी
4.	श्री मोहन सिंह	श्री गौतम सिंह	14.09.1973	13.02.1999	VIII Class	अ0पि0व0	वाहन चालक
5.	श्री रहीस खान	स्व0 रफीक खान	05.04.1976	01.05.1999	X Class	अ0पि0व0	परिचर
6.	श्री रामजी लाल	श्री रमेश चन्द्र	10.12.1975	20.05.1999	IX Class	अ0ज0	माली
7.	श्री मुकेश कुमार	श्री तोफा राम	01.06.1979	06.10.1999	XII Class	सामान्य	गार्ड
8.	श्री किशनलाल	स्व0 बडी प्रसाद	10.05.1982	19.04.2000	IX Class	अ0पि0व0	माली
9.	श्री जय प्रकाश	श्री लायक सिंह	08.10.1981	22.08.2000	VIII Class	अ0पि0व0	परिचर
10.	श्री रवि कुमार	श्री ओम प्रकाश	15.08.1976	25.01.2001	X Class	अ0ज0	चौकीदार
11.	श्री राज कुमार शर्मा	स्व0 रामजी लाल वर्मा	01.12.1979	09.03.1999	VIII Class	सामान्य	चौकीदार
12.	श्री राम नरेश	श्री मदन मोहन	03.09.1990	29.04.1999	X Class	सामान्य	चौकीदार
13.	श्री सिंहपाल सिंह	स्व0 श्री एम0बी0 सिंह	21.06.1974	06.02.2000	M.Com	सामान्य	दफ्तरी
14.	श्री भोलू	श्री उमरदीन	18.06.1981	01.08.2001	VIII Class	अ0ज0	परिचर
15.	श्री राम किशोर शर्मा	श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा	05.07.1971	19.04.1999	XII Class	सामान्य	परिचर
16.	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	श्री बच्चू कुमार शर्मा	01.08.1978	17.08.1999	X Class	सामान्य	परिचर
17.	श्री विष्णु कुमार डागौर	श्री राम नारायण	12.12.1980	01.08.2001	VIII Class	अ0ज0	सफाईकर्मी
18.	श्री मलखान सिंह	स्व0 कालीचरण	15.08.1966	19.11.2001	X Class	अ0ज0	गार्ड
19.	श्रीमती ऊषा देवी	पत्नी श्री विनोद सिंह	28.07.1976	12.02.1999	-	अ0ज0	सफाईकर्मी
20.	श्री गफ्फार	श्री गफ्फूर	03.07.1977	29.09.2000	-	अ0पि0व0	माली
21.	श्रीमती मीना देवी	श्री सोना	25.07.1968	17.09.1998	-	अ0ज0	सफाईकर्मी

जिस पर समिति द्वारा निम्न संस्तुति की गयी:-

"समूह-घ सेवा नियमावली-1985 के अनुसार चपरासी, सन्देशवाहक या साइक्लोस्टाइल के पद के लिए कम से कम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए किसी अन्य श्रेणी के पद के लिए कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नही थी। उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विनियमीतिकरण समिति द्वारा संस्तुत किये गये चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित आवश्यक न्यूनतम आर्हता सम्बन्धित

..........5

Scanned with CamScanner

कर्मचारियों द्वारा Cut-Off दिनांक 31.12.2001 को धारित की जा रही है। **उक्त संस्तुति पर परिषद् द्वारा सभी 21 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विनियमित करते हुये विनियमितीकरण का आदेश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।**

इसके अतिरिक्त विनियमितीकरण समिति द्वारा निम्न 09 ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत की गयी, जिसमें विसंगति पायी गयी है।

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति की तिथि	श्रेणी	पद जिस पर विनियमीतिकरण की अनुसंशा	नियुक्ति के समय आयु
1.	श्री अजीत	श्री कालीचरण	14.02.1981	03.12.1998	अ0ज0	सफाईकर्मी	17 वर्ष 09 माह 19 दिन
2.	श्री अखिलेश कुमार	श्री हरी सिंह	01.03.1978	17.07.1995	सामान्य	विद्युतकर्मी	17 वर्ष 04 माह 16 दिन
3.	श्री अशोक कुमार शर्मा	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	15.07.1983	01.02.1999	सामान्य	परिचर	15 वर्ष 06 माह 17 दिन
4.	श्री संजय	श्री वीरेन्द्र	03.09.1984	14.12.2000	अ0ज0	सफाईकर्मी	16 वर्ष 03 माह 11 दिन
5.	श्रीमती सोनिया रानी	श्री पप्पू	19.02.1984	22.10.2001	अ0ज0	सफाईकर्मी	17 वर्ष 08 माह 03 दिन
6.	श्री दौलत	श्री सुरेश	24.04.1984	24.06.2001	अ0ज0	सफाईकर्मी	17 वर्ष 02 माह
7.	श्री इमरान खान	मो0 हुसैन खान	27.09.1982	12.09.2000	सामान्य	गार्ड	17 वर्ष 11 माह 16 दिन
8.	श्री संजय	श्री सुरेश	01.01.1987	01.08.2001	अ0ज0	सफाईकर्मी	14 वर्ष 07 माह
9.	श्रीमती पूनम	श्री हरि	22.09.1965	01.08.2000	अ0ज0	परिचर	-

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1 से 8 तक उल्लिखित कर्मचारीगण अपनी प्रथम नियुक्ति की तिथि पर 18 वर्ष की न्यूनतम आयु को पूर्ण नही कर रहे है, जिसमें से क्रम संख्या 4, 5, 6 एवं 8 पर उल्लिखित कर्मचारीगण क्रमशः श्री संजय, श्रीमती सोनिया रानी, श्री दौलत एवं श्री संजय Cut-Off दिनांक 31.12.2001 को भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण नही कर रहे है। क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित कर्मचारी को विनियमितीकरण समिति द्वारा परिचर के पद पर विनियमित किये जाने की संस्तुति की गयी है, परन्तु उनकी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख नही किया गया है, जबकि शासनादेश के अनुसार परिचर पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 05 उत्तीर्ण है।

कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त 09 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने हेतु अलग से एक समिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को आवश्यक रूप से रखा जाय।

...........6

Scanned with CamScanner

4. कार्य परिषद् द्वारा निदेशक, के०एम०आई० एवम् संकायाध्यक्ष, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अनुरोध पर क्रमशः 05 स्थायी रिक्त पदों के सापेक्ष फ्रेंच भाषा में अध्यापन हेतु 03 एवम् रशियन भाषा में अध्यापन हेतु 02 विषय विशेषज्ञ नामित करने, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में जन्तु विज्ञान में रिक्त 03 स्थायी पदों के सापेक्ष अस्थायी रूप से 02 विषय विशेषज्ञ पर्यावरण विज्ञान विभाग में केवल सत्र 2021-22 हेतु प्रदान किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-4)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया सम्पन्न कराये जाने हेतु संकाय स्तर पर सम्बन्धित संकायाध्यक्ष को इस हेतु अधिकृत किया गया कि वह इसकी व्यवस्था अपने स्तर से संकाय में रिक्त पदों के सापेक्ष सत्र 2021-22 हेतु वैकल्पिक रूप से कर लें, यह व्यवस्था इसी सत्र हेतु मानी जायेगी, परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृत पदों को Exceed न किया जाय।

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद</u>

1. कार्य परिषद् द्वारा अनुबन्धित कर्मचारियों के सेवा विस्तारण पर विचार। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा अनुबन्धित कर्मचारियों के सेवा विस्तारण पर विचार करते हुये निम्न निर्णय लिया गया:-

(i) सर्वप्रथम कार्य परिषद् की कार्य सूची के बिन्दु संख्या-3 में विनियमित किये गये तृतीय श्रेणी के 22 एवम् चतुर्थ श्रेणी के 21 कर्मचारियों का दिनांक 01.12.2021 से विनियमितीकरण के आदेश निर्गत होने तक सेवा विस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) शेष कर्मचारियों को 01.12.2021 से दिनांक 30.11.2022 तक सेवा विस्तारण को अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. कार्य परिषद् द्वारा शासन के पत्र संख्या पत्र संख्या-3126/सत्तर-3-2021 लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2021, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली-2015 को अवक्रमित करते हुये उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली-2021 को अंगीकृत किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-2)

निर्णय:- कार्य परिषद् द्वारा उक्त नियमावली को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।

3. कार्य परिषद् द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर विचार। (परिशिष्ट-3)

निर्णय:- सचिव द्वारा मृतक आश्रित श्री निकुंज शर्मा पुत्र स्व0 श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा एवम् श्री शशांक सिंह पुत्र स्व0 श्री विपिन कुमार सिंह की मृतक आश्रित कोटे के अर्न्तगत नियुक्ति के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों को परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो निम्नवत् है:-

............7

Scanned with CamScanner

(i) श्री निकुंज शर्मा पुत्र स्व0 श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा(वरिष्ठ सहायक) को हिन्दी एवम् अग्रेंजी टाईपिंग के साथ साथ पत्र लेखन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन एवम् माइक्रोसॉफ्ट आफिस एक्सेल का आवश्यक ज्ञान है। अतः श्री निकुंज शर्मा की तृतीय श्रेणी/लिपकीय संवर्ग में मृतक आश्रित के रूप में नैत्यिक लिपिक(कनिष्ठ सहायक परिवर्तित पदनाम, पुर्नरीक्षित वेतनमान 5200-20200 ग्रेड़ पे 2000) पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति की गयी।

(ii) श्री शशांक सिंह पुत्र स्व0 श्री विपिन कुमार सिंह (वरिष्ठ सहायक) को अग्रेंजी टाईपिंग के साथ साथ पत्र लेखन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन एवम् माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का आवश्यक ज्ञान है, किन्तु हिन्दी टाईपिंग का ज्ञान नही है तथा कम्प्यूटर प्रचालन में **"डी0ओ0ई0ए0सी0सी0"** सोसायटी द्वारा प्रदत्त **"सी0सी0सी0"** प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र धारित नही करते है। अतः "उत्तर प्रदेश में सेवाकाल में मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974" में नियम 5 के उपनियम 1 में, अधिसूचना संख्या 6/12/73/ का-2 टी.सी. (पअ) दिनांक 22 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधित **"उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती" (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली 2014" के प्रावधानः-**

"(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता होः-

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है, जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है और मृत सेवाकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नही है तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली जायेगी और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी और बढाई गई अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी"

के अधीन तृतीय श्रेणी/लिपिकीय संवर्ग में मृतक आश्रित के रूप में नैत्यिक लिपिक (कनिष्ठ सहायक परिवर्तित पदनाम, पुर्नरीक्षित वेतनमान 5200-20200 ग्रेड़ पे 2000) पद पर नियुक्ति हेतु सशर्त संस्तुति की गयी।

समिति की उक्त संस्तुतियों पर परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. कार्य परिषद् द्वारा सम्बद्धता हेतु महाविद्यालयों के निरीक्षण मण्डल के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट-4)**

निर्णयः-कार्य परिषद् द्वारा निरीक्षण मण्डल को अनुमोदन प्रदान किया गया एवम् भविष्य में निरीक्षण मण्डल के गठन के लिए परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

..........8

Scanned with CamScanner

5. कार्य परिषद् द्वारा सम्बद्धता विभाग की टिप्पणी विश्वविद्यालय से प्राप्त विषय विशेषज्ञों से साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रावली 45 दिन में विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-5)

निर्णयः-सचिव द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को विषय विशेषज्ञ प्रदान किये जाने के बाद महाविद्यालयों द्वारा एक वर्ष में भी चयन समिति की संस्तुतियाँ विश्वविद्यालय में जमा नही की जाती है, जिससे शिक्षक अनुमोदन की पत्रावलियाँ लम्बित पड़ी रहती है, चूँकि विशेषज्ञों का पैनल एक वर्ष के लिए वैध होता है। अतः महाविद्यालयों द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जाती है।

उक्त पर परिषद् के सभी सदस्यों द्वार पैनल की वैधता एक वर्ष के स्थान पर 45 दिन किये जाने का निर्णय लिया गया तथा यह भी सुझाव दिया गया कि यदि बाह्य विशेषज्ञों की अनुपस्थिति के कारण चयन समिति आहूत किये जाने में विलम्ब होता है, तो बाह्य विशेषज्ञों को ऑन-लाइन उपस्थिति की प्रक्रिया अपनायी जाय।

उक्त पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों को सत्र 2021-22 में प्रवेश पर विचार।

निर्णयः- उक्त मद के सम्बन्ध में सचिव द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या-612/सत्तर-2-2021-16(165)/2012टी0सी0 दिनांक 25 जून, 2021 के क्रम में माननीय कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14.09.2021 में लिये गये निर्णय के अर्न्तगत 30 नबम्बर, 2021 तक सम्बद्धता विस्तारण प्रदान किया गया था, साथ ही कार्य परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तारण प्राप्त महाविद्यालयों से प्रवेश की अनुमति एवम् कमियाँ पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र दिनांक 30.11.2021 तक विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुपालन में 385 महाविद्यालयों के द्वारा दिनांक 30.11.2021 तक शपथ पत्र प्रेषित किये थे, तथा 43 महाविद्यालयों के द्वारा दिनांक 30.11.2021 के उपरान्त शपथ पत्र प्रेषित किये गये है एवम् 178 महाविद्यालयों द्वारा उक्त निर्णय के अनुपालन में कोई भी शपथ पत्र से सम्बन्धित पत्राचार विश्वविद्यालय से नही किया है, जिस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 385 महाविद्यालयों की सत्र 2021-22 हेतु कार्य परिषद् के निर्णयानुसार दिनांक 30.11.2021 तक शपथ पत्र जमा करने के उपरान्त प्रवेश हेतु लॉगिन आई0डी0 खोली जा चुकी है। 43 महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित तिथि के उपरान्त शपथ पत्र प्रेषित किये जाने की स्थिति में छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुये लॉगिन आई0डी0 खोलने का का निर्णय लिया गया एवम् उक्त महाविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। शेष 178 महाविद्यालयों की अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए ऐसे प्रकरणों पर निर्णय लेने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

..........9

Scanned with CamScanner

7. कार्य परिषद् द्वारा 15 विधि महाविद्यालयों को सत्र 2021-22 की सम्बद्धता विस्तारण प्रदान किये जाने पर विचार। **(परिशिष्ट-6)**

निर्णयः- सचिव द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि 19 महाविद्यालयों में अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विधि पाठ्यक्रम संचालित है, तो उक्त सभी विधि महाविद्यालय पिछले 05 वर्षो से संचालित है। शासनादेश संख्या 612/सत्तर-2-2021-16(165)/2012 टी.सी. दिनांक 25 जून, 2021 के क्रम में कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14.09.2021 में लिये गये निर्णय के अर्न्तगत दिनांक 30.11.2021 तक सम्बद्धता प्रदान किया गया था, साथ ही माननीय कार्य परिषद् द्वारा सम्बद्धता विस्तारण प्राप्त महाविद्यालयों से प्रवेश की अनुमति एवम् कमियाँ पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र दिनांक 30.11.2021 तक विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के अनुपालन में कुल 15 महाविद्यालयों द्वारा शपथ पत्र उपलब्ध करा दिये गये है, जबकि 04 महाविद्यालयों द्वारा शपथ पत्र प्रेषित न किये जाने के कारण सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता विस्तारण पर निर्णय लिया जाना है। उक्त पर परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा यह विचार किया गया कि चूंकि सत्र 2021-22 में प्रवेश हो चुके है। अतः इस समय सम्बद्धता विस्तारण पर रोक लगया जाना छात्र हित में उचित नही होगा। महाविद्यालय द्वारा कमियाँ पूर्ण न किये जाने की स्थिति में सत्र 2022-23 में सम्बद्धता विस्तारण न किये जाने का निर्णय लिया गया।

8. कार्य परिषद् द्वारा महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को रखे जाने पर विचार।

(परिशिष्ट-7)

निर्णयः-सम्बद्धता विभाग के उक्त प्रस्ताव पर माननीय कार्य परिषद् सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों पर विश्वविद्यालय का भी नियंत्रण रहे इसके लिए कुलपति जी द्वारा नामित एक विश्वविद्यालय प्रतिनिधि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति में होना चाहिए, जिस पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. कार्य परिषद् द्वारा चार महाविद्यालयों को होम्योपैथिक पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर विचार। **(परिशिष्ट-8)**

निर्णयः- कार्यपरिषद् निम्न 04 होम्योपैथिक महाविद्यालयों को सत्र 2021-21 की सम्बद्धता प्रदान किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(i) **शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बडहलगंज, गोरखपुर।**
(ii) **राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कासिमपुर रोड छेरत, अलीगढ़।**
(iii) **पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनपुर, कानपुर।**
(iv) **स्टेट नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल, विराजखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।**

...........10

Scanned with CamScanner

10. कार्य परिषद् द्वारा शासन के निर्देशानुसार जनपद मथुरा में संचालित महाविद्यालयों की भौतिक सत्यापन हेतु गठित समिति की जाँच आख्या पर स्पष्ट संस्तुति हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की जाँच आख्या पर विचार।

निर्णयः-कार्य परिषद् के समक्ष जाँच आख्या को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसके निष्कर्ष निम्नवत् है:-
44 महाविद्यालयों में से 38 महाविद्यालयों में कमियाँ पूर्ण करने के सम्बन्ध में पत्रावली प्रेषित की है एवम् 23 असंस्तुत महाविद्यालयों में से 14 महाविद्यालयों के द्वारा विश्वविद्यालय में कमियाँ पूर्ण करने सम्बन्धी पत्रावली प्रेषित की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में पुनः भौतिक निरीक्षण कराया जाना होगा, जिसके आधार पर निर्णय लेने हेतु परिषद् द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

11. कार्य परिषद् द्वारा शासनादेश संख्या 534/सत्तर-5-2015-100/2009 दिनांक 11 मार्च, 2015 एवम् शासनादेश संख्या 2/2020/226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 मार्च, 2020 को अंगीकृत किये जाने पर विचार। **(परिशिष्ट-10)**

निर्णयः-कार्य परिषद् द्वारा शासनादेश संख्या 534/सत्तर-5-2015-100/2009 दिनांक 11 मार्च, 2015 एवम् शासनादेश संख्या 2/2020/226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 मार्च, 2020 को अंगीकृत किया गया।

12. कार्य परिषद् द्वारा प्रो0 अजय तनेजा के प्रस्ताव संकायाध्यक्ष शोध एवम् निदेशक, सी0डी0सी0 के कार्यभार से स्वंय को मुक्त किये पर विचार।

निर्णयः- प्रो0 अजय तनेजा द्वारा परिषद् के समक्ष अत्याधिक कार्य भार होने के कारण स्वंय को संकायाध्यक्ष शोध एवम् निदेशक, सी0डी0सी0 के कार्यभार से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया, जिस पर विचार करते हुये परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रो0 अजय तनेजा को उक्त कार्यो से मुक्त करते हुये उनके स्थान पर प्रो0 विनीता सिंह को संकायाध्यक्ष शोध एवम् प्रो0 लवकुश मिश्रा को निदेशक सी0डी0सी0 नियुक्त करने का संस्तुति की गयी।

इस पर समस्त सदस्यों द्वारा प्रो0 विनीता सिंह एवम् प्रो0 लवकुश मिश्रा को बधाई एवम् शुभकामनायें दी गई एवम् प्रो0 अजय तनेजा द्वारा स्वंय को उक्त दायित्वों का निर्वहन किये जाने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु सभी को धन्यवाद दिया।

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक के समापन की घोषणा की गई।

कुलसचिव   कुलपति

Scanned with CamScanner

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2021 कां कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2022 को अपरान्ह 01:00 बजे जुबली हॉल, पालीवाल पार्क, आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

प्रो0 आलोक कुमार राय (अध्यक्ष) – कुलपति

2. प्रो0 प्रदीप श्रीधर	3. प्रो0 शरद चन्द्र उपाध्याय
4. प्रो0 यू0सी0 शर्मा	5. डा0 विजय कुमार सिंह (विशेष आमंत्रित सदस्य)
6. डा0 अमिता शर्मा	7. डा0 लता चन्दोला
8. प्रो0 मोहम्मद अरशद	9. डा0 बी0डी0 शुक्ला
10. डा0 जैसवार गौतम लाल बिहारी	11. डा0 यू0एन0 सिंह
12. डा0 उमेश चन्द्रा	13. डा0 प्रीति जौहरी
14. प्रो0 पी0के0 सिंह	15. डा दिव्या श्रीवास्तव
16. प्रो0 यू0एन0 शुक्ला	17. डा0 के0पी0 सिंह
18. डा0 एस0 पी0 सिंह (विशेष आमंत्रित सदस्य)	19. डा0 विपिन कुमार
20. डा0 रेनू अग्रवाल	21. डा0 रिचा गुप्ता
22. प्रो0 भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा	23. प्रो0 ब्रजेश रावत
24. डा0 हरेन्द्र कुमार	25. प्रो0 लवकुश मिश्रा
26. डा0 निर्मला यादव	27. प्रो0 अचला गक्खर
28. डा0 रूचि पाण्डेय	29. प्रो0 एस0के0 कठेरिया
30. डा0 वी0के0 तौमर	31. प्रो0 अजय तनेजा
32. डा0 संजय जैन (विशेष आमंत्रित सदस्य)	33. डा0 परवेन्द्र कुमार
34. डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह	35. प्रो0 सुगम आनन्द
36. प्रो0 बिन्दु शेखर शर्मा	37. डा0 एम0के0 श्रीवास्तव
38. प्रो0 संजीव शर्मा	39. प्रो0 मनोज श्रीवास्तव
40. प्रो0 विनीता सिंह	41. प्रो0 मीनाक्षी श्रीवास्तव
42. प्रो0 सन्तोष बिहारी शर्मा	43. डा0 मोहम्मद हुसैन

................2

Scanned with CamScanner

44. डा0 विवेक

46. डा0 हेम प्रकाश

48. डा0 प्रदीप कुमार

50. डा0 कुलदीप कुमार

52. डा0 विष्णु कुमार

54. डा0 संजय कुमार

56. डा0 राजीव वर्मा

45. डा0 ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह

47. डा0 वाई0 पी0 सिंह

49. डा0 दीपमाला श्रीवास्तव

51. प्रो0 अनिल वर्मा

53. प्रो0 संजय चौधरी

55. प्रो0 मनोज उपाध्याय

57. प्रो0 बी0पी0 सिंह

श्री संजीव कुमार सिंह, – सचिव

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में वित्त अधिकारी श्री ए0के0 सिंह एवं परीक्षा नियंत्रक श्री अजय कृष्ण यादव भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम कुलसचिव श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा बैठक के सदस्यों का स्वागत करते हुये माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का संचालन प्रारम्भ किया गया।

1. विद्या परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 18.01.2021, ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म की बैठक दिनांक 14.05.2021 एवं वर्चुअल (**Virtual**) बैठक दिनांक 24.06.2021 की सम्पुष्टि पर विचार। **(परिशिष्ट–1)**

निर्णयः–विद्या परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 18.01.2021, ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म की बैठक दिनांक 14.05.2021 एवं वर्चुअल (**Virtual**) बैठक दिनांक 24.06.2021 की उन सभी विषयों की सम्पुष्टि की गई जो विद्या परिषद् की बैठक के अनुकम में है तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में विद्या परिषद् का कार्यवृत्त तैयार करने के पश्चात् सभी सदस्यों को कार्यवृत्त की Soft copy उक्त निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जाय कि यदि किसी सदस्य को परिषद् में लिये गये निर्णयों से कोई आपत्ति है तो तीन दिन के अन्दर e-mail से अपनी आपत्ति दर्ज कराये, तीन दिन के पश्चात् निर्णयों को यथावत् अनुमोदित मान लिया जायेगा तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में परीक्षा समिति एवम् प्रवेश समिति के कार्यवृत्त को अनुमोदन हेतु विद्या परिषद् में प्रस्तुत न किया जाय, सीधे कार्य परिषद् में प्रस्तुत किया जाय।

1(A). विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट–1(A))

निर्णयः–विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 06.01.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट–2)

.....................3

Scanned with CamScanner

निर्णयः—विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 06.01.2022 की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा कुलपति जी के आदेशानुसार नई शिक्षा नीति—2020 के कियान्वयन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार किये गये बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के पाठ्यकमों के अध्यादेशों के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट—3)**

निर्णयः—विद्या परिषद् द्वारा कुलपति जी के आदेशानुसार नई शिक्षा नीति—2020 के कियान्वयन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार किये गये बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के पाठ्यकमों के अध्यादेशों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि उक्त अध्यादेशों को शीघ्र अतिशीघ्र महामहिम कुलाधिपति जी के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाय।

4. विद्या परिषद् द्वारा Vocational Courses के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट—4)**

निर्णयः—विद्या परिषद् द्वारा Vocational Courses की सूची को अनुमोदन प्रदान करते हुये सूची में पाये गये कुछ संशोधनों के साथ संसूचित करने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

5. विद्या परिषद् द्वारा एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक 15.11.2021 की पाठ्यकम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट—5)**

निर्णयः— विद्या परिषद् द्वारा एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक 15.11.2021 की पाठ्यकम सम्बन्धी संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. विद्या परिषद् द्वारा ललित कला संकाय की बैठक दिनांक 16.12.2021 की पाठ्यकम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट—6)**

निर्णयः— विद्या परिषद् द्वारा ललित कला संकाय की बैठक दिनांक 16.12.2021 की पाठ्यकम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा ललित कला संकाय के संकायाध्यक्ष को संकाय की संस्तुतियों की जानकारी न होने पर विद्या परिषद् द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा दीक्षान्त समारोह में उनके अनुपस्थित रहने पर भी उनके कर्तव्यों के प्रति उनकी घोर लापरवाही मानते हुये आपत्ति जतायी गयी।

7. विद्या परिषद द्वारा **Industrial Microbiology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 11.12.2021 की पाठ्यकम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट—7)**

..............4

Scanned with CamScanner

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा **Industrial Microbiology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 11.12.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. विद्या परिषद द्वारा **B.Sc.** में **Biotechnology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 04.12.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट–8)**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा **B.Sc. Biotechnology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 04.12.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. विद्या परिषद द्वारा **Industrial Chemistry** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 23.11.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट–9)**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा **Industrial Chemistry** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 23.11.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. विद्या परिषद् द्वारा बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अन्तिम वर्ष एवं पोस्ट बेसिक (नर्सिंग) अन्तिम वर्ष के पाठ्यक्रम में कम्युनिटी हैल्थ नर्सिंग पाठ्यक्रम को समावेशित किये जाने एवं पाठ्यक्रम तथा अध्यादेश तैयार किये जाने हेतु कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट–10)**

निर्णयः– विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

11. विद्या परिषद् द्वारा कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्र संख्या–ई–2675/03–जी0एस0/202–VI दिनांक 24.05.2021 जो कि माननीय कुलपति जी को सम्बोधित है, के द्वारा श्री बाबू भाई थीबा बी/401 संजीव इनक्लेव जे0पी0 रोड़, सेवन बंग्लो गार्डन के पास, वारसोवा अधेंरी(वेस्ट), मुम्बई के पत्र दिनांक 20/03/2021 के द्वारा श्री गुरू स्वरूप श्रीवास्तव को डाक्टरेट की मानद् उपाधि प्रदान किये जाने पर विचार। **(परिशिष्ट–11)**

निर्णयः– उक्त मद परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से वापिस लिया गया।

12. विद्या परिषद् द्वारा कु0 वंदना डी0 नागपाल सी0ए0 के ई0 मेल0 दिनांक 18.06.2021 के द्वारा सी0ए0 उपाधि को एम0कॉम0 (स्नातकोत्तर) उपाधि के समकक्ष मानते हुए वाणिज्य संकाय में पी0एच–डी0 की अनुमति में सम्बन्ध में विचार। **(परिशिष्ट–12)**

...............5

Scanned with CamScanner

निर्णयः–उक्त मद को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया, तदोपरान्त अध्यक्ष द्वारा परिषद् के समक्ष यह विचार रखा गया कि इस तरह के मामलों में प्रकरणों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत न कर एक Policy निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें U.G.C. द्वारा लिये गये निर्णय, जो कि निम्नवत् है:–

"CA/CS/ICWA qualification be considered equivalent to PG Degree"

का लाभ सभी अर्ह छात्रों को प्राप्त हो सकें तथा इसको लागू करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु परिषद् द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

13. विद्या परिषद् द्वारा डा0 पुनीता पाण्डेय के शोध पर मूल्यांकन करने वाले दोनों बाह्य परीक्षकों में से एक का नाम अंकित न होने की स्थिति में स्टेटस प्रमाण–पत्र 2009 निर्गत करने पर विचार। **(परिशिष्ट–13)**

निर्णयः–विद्या परिषद् द्वारा डा0 पुनीता पाण्डेय के शोध मूल्यांकन की द्वितीय पत्रावली तैयार करने की अनुमति प्रदान की गयी एवम् परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों पर निर्णय लेने हेतु संकायाध्यक्ष शोध एवम् कुलपति जी के निर्देशन में एक समिति बनाकर इस तरह के प्रकरणों का निस्तारण किया जाय।

14. विद्या परिषद् द्वारा शोध विभाग के प्रस्ताव एम0 फिल0 तथा पी0एच–डी0 शोध प्रबन्ध जमा करने की अन्तिम तिथि 30.06.2022 तक विस्तारित करने पर विचार। **(परिशिष्ट–14)**

निर्णयः–विद्या परिषद् द्वारा शोध विभाग के प्रस्ताव एम0 फिल0 तथा पी0एच–डी0 शोध प्रबन्ध जमा करने की अन्तिम तिथि 30.06.2022 तक विस्तारित करने को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त के लिए छात्रों से किसी भी प्रकार की Late Fees नही ली जायेगी।

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2022 का पूरक कार्यवृत्त

1. विद्या परिषद् द्वारा प्रो0 प्रदीप श्रीधर, निदेशक, के0एम0आई0, आगरा के प्रस्ताव डा0 योगेन्द्र कुमार शर्मा को संस्कृत विभाग में किये गये शोध का स्टेट्स सर्टीफिकेट प्रदान किये जाने हेतु द्वितीय पत्रावली तैयार किये जाने पर विचार। **(परिशिष्ट–1)**

निर्णयः– विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. विद्या परिषद् द्वारा प्रो0 प्रदीप श्रीधर, निदेशक, के0एम0आई0, आगरा के प्रस्ताव डा0 केशव कुमार शर्मा को हिन्दी विभाग में किये गये शोध का स्टेट्स सर्टीफिकेट प्रदान किये जाने हेतु द्वितीय पत्रावली तैयार किये जाने पर विचार। **(परिशिष्ट–2)**

................6

Scanned with CamScanner

निर्णयः— विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा **Library & Information Science** विषय की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 16.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट–3)**

निर्णयः—विद्या परिषद् द्वारा **Library & Information Science** विषय की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 16.01.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की बैठक दिनांक 01.01.2022 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। **(परिशिष्ट–4)**

निर्णयः— विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की बैठक दिनांक 01.01.2022 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद</u>

1. संकायाध्यक्ष शिक्षाशास्त्र एवम् संकायाध्यक्ष मेडिसिन के प्रस्ताव परीक्षायें समय से कराये जाने पर विचार।

निर्णयः— उक्त मद पर विचार विमर्श करते हुये परीक्षा नियंत्रक की तरफ से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि Supplementary Examination/Re-Exam. के पश्चात् Challenge Evaluation को समाप्त किया जाता है, जिस पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. संकायाध्यक्ष शोध के डी0लिट् एवम् डी0एस0सी0 के अध्यादेशों को Revise करने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर कुलपति जी को एक समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया गया।

3. संकायाध्यक्ष, कृषि के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः—संकायाध्यक्ष कृषि को B.Sc. Agriculture के अध्यादेश में किसी भी प्रकार की समस्याओं को कुलसचिव से मिलकर निस्तारित करने हेतु अधिकृत किया गया।

4. संकायाध्यक्ष शोध. प्रो0 अजय तनेजा के प्रस्ताव पी0एच–डी0 रेगुलेशन–2018 के बिन्दु संख्या–7(d) में परिवर्तन किये जाने पर विचार।

निर्णयः—प्रो0 अजय तनेजा द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि पी0एच–डी0 रेगुलेशन–2018 में सुपरवाइजर परिवर्तित करने के लिए निम्न व्यवस्था दी गई है:–

"7(d). No Change of supervisor shall ordinarily be allowed, but in special cases, where the Head of the Department is satisfied that the research work of a scholar with suffer-

(i) On account of migration, retirement, long leave, or for any other reason, the supervisor may not be available to guide the scholar, or

-------------7

(ii) **As the supervisor is not willing to, or not in a position to supervise to the Vice-Chancellor through the Dean of Faculty or the Director of Institute who may allow change of the supervisor.**

The RDC, at its discretion may also decide whether change of supervisor will require fresh registration of the scholar."

उक्त के अनुसार विशेष परिस्थितियों में आर0डी0सी0 द्वारा सुपरवाइजर परिवर्तित किया जाता है। प्रो0 अजय तनेजा द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों के बहुत सारे प्रार्थना पत्र प्राप्त होते है तथा प्रत्येक प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराये जाने के लिए आर0डी0सी0 की बैठक बार–बार बुलाना सम्भव नही हो पाता है। अतः इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण आर0डी0सी0 द्वारा गठित Sub-Committee से कराये जाने हेतु रेगुलेशन में वर्णित व्यवस्था **The RDC, at its discretion may also decide whether change of supervisor will require fresh registration of the scholar** को **The RDC/RDC Sub-Committee at its discretion may also decide whether change of supervisor will require fresh registration of the scholar** पढ़ा जाय।

विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

कुलसचिव

कुलपति

Scanned with CamScanner